(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6116/2018/बैतूल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 18-07-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 66/अपील/2017-18

बंसीलाल पुत्र पारन्या
निवासी ग्राम टूराबोरगांव
तहसील आमला जिला बैतूल म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-द्वारका पत्नि श्री सखाराम
2-गुलाब राव पुत्र श्री सखाराम
निवासीगण ग्राम टूराबोरगांव
तहसील आमला जिला बैतूल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री विनोद मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0सोलंकी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/19 को पारित)

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम टूराबोगांव तहसील आमला जिला बैतूल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 178 रकबा 0.267 हेक्टेयर भूमि तथा अन्य सर्वे क्रमांक राजस्व अभिलेखों में अनावेदकगण एवं अन्य सहखातेदारों के संयुक्त नाम पर दर्ज है । द्वारका द्वारा

अपने संयुक्त खाते की भूमि क्रमांक 178 के दिनांक 11-6-2009 को हुये सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के तहत विचारण न्यायालय के सम दिनांक 12-10-2009 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर बंसीलाल के प्रश्नाधीन भूमि रकबा 0.006 हेक्टेयर पर बांस बल्ली लगाकर किये गये अवैध कब्जा को हटाये जाने की मॉग की गई । द्वारका के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/वर्ष 2009-10 पंजीबद्ध करते हुये दिनांक 29-6-2017 को आदेश पारित करते हुये द्वारका का दावा सिद्ध पाते हुये यह निष्कर्ष दिया गया कि "इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अ-70/2008-09 पक्षकार काशीराम विरूद्ध रतन में दिनांक 17-3-2016 राजस्व निरीक्षक के कथन प्रतिपरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में नाम में अंतर आना बताया गया है, जिससे आवेदक द्वारा कराये गये सीमांकन में 5 कडी से 10 कडी भूमि पर अनावेदक का कब्जा पाया गया है, जो सीमांकन में 5 एवं 10 कडी अंतर आने की पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई । इस प्रकरण में भी आवेदक द्वारा भी कराये गये सीमांकन में मात्र 6 आरे भूमि का अवैध अतिक्रमण होना पाया गया है जो नपाई में अंतर आने की संभावना से हो सकता है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदिका द्वारा इस प्रकरण में चाहा गया वांछित अनुतोष प्रदाय किया जाना उचित नहीं पाता हूँ । अत: उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अग्राह्य किया गया ।" विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष की गई, जो अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-7-18 को आदेश पारित कर अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1): अनावेदिका के द्वारा खसरा क्रमांक 178 रकबा 0.067 हेक्टेयर मौजा टूरबोरगांव का तथा कथित सीमांकन राजस्व निरीक्षण एवं पटवारी द्वारा कराया गया जो दिनांक 11-6-2009 को जिसमें अनावेदक के पश्चिम की भूमि की लम्बाई 10 कडी तथा उत्तर तरफ से 20 कडी एवं दक्षिण में 7 कडी कुल रकबा 0.006 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक का कब्जा बताया गया है ।

उक्त सीमांकन त्रुटिपूर्ण व अधीक्षक भू अभिलेख से कराया जाना था व नये वैज्ञानिक पद्धति से किये जाने पर उक्त अतिक्रमण अवैध कब्जा नहीं पाया जाता ।

(2) आवेदक के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 की [illegible] कर दिनांक 29-6-17 को आदेश पारित किया व अनावेदकगण का आवेदन निरस्त [illegible] गया । उसका मूल कारण मानवीय तकनीकी से सीमांकन कराये जाने पर ऑशिक वृद्धि [illegible] से उसे संहिता की धारा250 की कार्यवाहीसे मुक्त होने का जो अभिमत विचारण न्यायालय द्वारा संभावना व्यक्त की गई वह सद्भाविक है जिसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा न मानकर भूल की गई है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) संहिता की धारा 250 की कार्यवाही करने के लिये पहले संहिता में वर्णित [illegible] एवं प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया जिस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालयों [illegible] पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) प्रकरण में नायब तहसीलदार के आदेश पर जो सीमांकन किया गया यदि [illegible] दोबारा सीमांकन करा लिया जाये तो उससे दोनो पक्षों में किसी को भी कोई क्षति नहीं [illegible] सीमांकन में अनावेदक की भूमि एवं आवेदक की कुल भूमि दोनों के सीमांकन व चतु[illegible] संबंध प्रतिवेदन दिया जाना था किन्तु मौके पर मौजूद राजस्व अमला मात्र अनावेदक [illegible] का ही सीमांकन कर मनमाने तरीके से भूमि वृद्धि की व जिस कारण से आवेदक को [illegible] पर अवैध कब्जा धारी घोषित कर दिया गया अत: अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण में पुन: सीमांकन किये जाने के आदेश न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की कंडिकाओं में अनावेदिका का प्रकरण प्रमाणित मानकर भी अनावेदिका से वादग्रस्त भूमि 0.06 आरे पर आधिपत्य दिलाये जाने का आदेश नहीं देकर कानूनी भूल की है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के प्रावधान में यह कही भी उल्लेख नहीं है कि यदि 5 आरे या 10 आरे का अतिक्रमण हो तो उसे कब्जा नहीं दिलाया जावे । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका की अपील स्वीकार करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि [illegible] के द्वारा

संहिता की धारा 129 के तहत हुये सीमांकन को वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई इसलिये सीमांकन अंतिम हो गया है । अनावेदक के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया तो जिसमें आवेदक उपस्थित थे । अत: अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उनके द्वारा 1993 आरएन 363 एवं 1983 आरएन 311 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि वे सीमांकन के दौरान उपस्थित नहीं थे । विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि किसी अभिलेख में उल्लेखित तथ्य तब तक मान्य किया जावेगा, जब तक इसे साक्ष्यों से अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाये। यहाँ इसे अन्यथा सिद्ध करने में आवेदक पक्ष सफल नहीं रहे हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में अनावेदकपक्ष को मौके पर वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका है । आवेदकपक्ष अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अधीनस्थ न्यायालयोंके समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-07-2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर